न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर, जिला—जालोर

पीठासीन अधिकारी :— प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :— 16/2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2025/53

प्रार्थीया	अप्रार्थीगण
मांगीदेवी पत्नी सत्यप्रकाश, जाति—बिश्नोई, निवासी—डेडवा, तहसील—सांचौर	राजेश्वरी पुत्री हरीराम वगैरह

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :— 27.03.2025

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री किशनलाल बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह अचलपुर उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 2 व 8 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:— निर्णय :— दिनांक :— 23.09.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके मौजा डेडवा के खेत खसरा नंबर 411 रकबा 0.43 हैक्टेयर में से 0.27 हैक्टेयर प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त परिवार की पुश्तैनी कब्जाकाश्त आराजी आई हुई है। अप्रार्थीया की शादी आज से 30 वर्ष पूर्व सन् 1995 में प्रकाश पुत्र कालचन्द बिश्नोई, निवासी—भीनमाल के साथ हो गई। शादी के बाद से अप्रार्थीया रामेश्वरी अपने पति के साथ ससुराल में रहती आ रही है। अप्रार्थीगया रामेश्वरी ने स्व. किशनलाल की जीते जी अन्तराल में ही मौजा डेडवा में स्थित खसरा नंबर 411 रकबा 0.43 हैक्टैयर में से 0.27 हैक्टेयर आराजी में से पैतृक हक मौखिक अपने पिता स्व. किशनलाल के पक्ष में तर्क कर दिया। अप्रार्थीया के ससुराल में स्थित संपति में हक प्राप्त कर लिया। मौजा डेडवा के खेत खसरा नंबर 411 रकबा 0.43 हैक्टेयर में से प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 की पैतृक आराजी में अप्रार्थीया रामेश्वरी का कोई हक हकूक व कब्जा शेष नहीं रहता है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 स्व. किशनलाल एवं स्व. सत्यप्रकाश के जायज वारिसान् एवं उतराधिकारी मात्र होने से खेत खसरा नंबर 411 रकबा 0.43 हैक्टेयर में से 0.27 हैक्टेयर में प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थीया मंगलीदेवी का 1/2 [illegible] आया होने से कब्जाकाश्त प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण का आया होने से खसरा नंबर [illegible] हैक्टेयर में से 0.27 हैक्टेयर में से प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 का [illegible] हिस्से की एवं अप्रार्थीया मंगलीदेवी का 1/2 हिस्से एवं कब्जा काश्त आया हुआ है। [illegible] डेडवा के खेत खसरा नंबर 411 रकबा 0.43 हैक्टैयर में से 0.27 हैक्टेयर प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत स्व. किशनलाल एवं स्व. सत्यप्रकाश के जायज वारिसान एवं उतराधिकारी होने से मौजा डेडवा में स्थित प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी पारिवारिक आराजी खसरा नंबर 411

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:07:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

मौजा डेडवा में स्थित प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी पारिवारिक आराजी खसरा नंबर 411 रकबा 0.43 हैक्टैयर में से 0.27 हैक्टेयर प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के हिस्से के बंट की कब्जा काश्त की आई होने से प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थीया के पक्ष में मेढ आउट होता है। उपरोक्त आराजी में से प्रार्थीगया के बंट व हिस्से की आराजी पर कब्जा काश्त प्रार्थीगया का आया होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगया के पक्ष में है यदि प्रार्थीया को शांतिपूर्वक कब्जे काश्त से जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीगया को अपूरणीय क्षति होगी जो रूपयो पैसों में आंकी नहीं जा सकती है। प्रार्थीया ने अलग से इस्तकरार हक, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर रखा है जो श्रीमान न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। अतः दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद के बहक प्रार्थीगया विरूद्व अप्रार्थीगण सादर फरमावें कि मौजा डेडवा के खेत खसरा संख्या 411 रकबा 0.43 हैक्टैयर में से 0.27 हैक्टेयर में से प्रार्थीया के हिस्से एवं बंट की आराजी में न तो अप्रार्थीगण स्वयं व न किसी अन्य के द्वारा दखलंदाजी करावें। मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 ने अपनी बहस में उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन, बलहीन व मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें ।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतयाः साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **23.09.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:07:38 IST
Reason: SelfAttested